[2021] 8 एस.सी.आर 2012

लछमी नारायण सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से

बनाम

सरजूग सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से

(सिविल अपील नं. 5823/2011)

17 अगस्त, 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

विलेख और दस्तावेज़ : विलेख और दस्तावेज़ : वसीयत और कोडिसिल्स - वसीयत का निरसन - प्रोबेट - तथ्यों पर, वसीयतकर्ता ने आवेदक के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की - आवेदक द्वारा प्रोबेट कार्यवाही - आपत्तिकर्ता का मामला कि आवेदक के पक्ष में वसीयत को एक पंजीकृत विलेख द्वारा रद्द और रद्द कर दिया गया था - विचारण न्यायालय ने माना आवेदक वसीयत की प्रोबेट पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसे रद्द कर दिया गया था - अपील में, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए प्रोबेट प्रदान कर दिया कि आवेदक के पक्ष में की गई वसीयत रद्द नहीं की गई थी - उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण के पंजीकृत विलेख पर अविश्वास किया, जिससे वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत को रद्द कर दिया गया - अपील पर - अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण विलेख पर अविश्वास करके और यह मानकर कि आवेदक वसीयत की प्रोबेट देने का हकदार था, सामग्री साक्ष्य की अनदेखी करके गलती की - प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, इस प्रकार, विरोध करने वालों के मामले में योग्यता है - इसके अलावा, विचारण न्यायालय का यह मानना सही था कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ था और उसने स्वयं वसीयत को रद्द कर दिया था - इसके अलावा रद्दीकरण विलेख की वास्तविकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और एक साक्षर व्यक्ति के रूप में वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठे की छाप लगाई थी जो विशेषज्ञ द्वारा वास्तविक साबित हुई थी - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1 प्रोबेट आवेदक की अपील को अनुमति देने में, उच्च न्यायालय ने वसीयतकर्ता-आर की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख किया जो अपनी मृत्यु से पहले पक्षाघात से पीड़ित था और राय दी थी कि वसीयतकर्ता के लिए वसीयत को रद्द करने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय का दौरा करना संभव नहीं होगा। तदनुसार उप-पंजीयक कार्यालय में उनके प्रतिरूपण पर निष्कर्ष निकाला गया था। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा गया था, भले ही उप-पंजीयक के कार्यालय में वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण के संबंध में न तो कोई सुझाव दिया

गया था और न ही आपत्ति करने वाले के गवाहों से कोई जिरह की गई थी। यह दर्ज करना भी महत्वपूर्ण है कि जब विचारण न्यायालय में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे, तो लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट और रद्दीकरण विलेख दोनों को बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। उच्च न्यायालय ओ. डब्ल्यू.-3, ओ.डब्ल्यू.-4 और ओ. डब्ल्यू.-5 के साक्ष्य को उचित महत्व देने में विफल रहा, जिन्होंने निरस्तीकरण विलेख की वास्तविकता पर साक्ष्य का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ओ.डब्ल्यू.-3, ओ.डब्ल्यू.-4 और ओ.डब्ल्यू.-5 के साक्ष्य को उचित महत्व देने में विफल रहा, जिन्होंने निरस्तीकरण विलेख की वास्तविकता पर साक्ष्य का नेतृत्व किया। इसके बजाय, रद्दीकरण विलेख को पंजीकृत करने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय जाने के लिए वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण और अक्षमता पर गलत अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा, प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय में संबंधित रद्द विलेख की स्वीकृति और अंकन का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए, विशेषज्ञ की रिपोर्ट के सामने, जब रद्द करने के विलेख को विचारण न्यायालय के समक्ष बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था, तो उन्हें अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता है और उन्हें वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से ओ.डब्ल्यू -3-5 की गवाही को देखते हुए, जो वसीयतकर्ता द्वारा पंजीकृत प्रतिसंहरण विलेख के निष्पादन पर दृढ़ रहे। [अनुच्छेद 14-16]

1.2 निरस्तीकरण विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान के मुद्दे पर, यह बता रहा है कि वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित सभी चार कार्यों में उसके अंगूठे का निशान था, न कि उसके हस्ताक्षर। इसलिए, रद्द किए गए विलेख की वास्तविकता पर प्रतिकूल अनुमान केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठे के निशान को जोड़ने का विकल्प चुना है। इसके अलावा, हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट (ओडब्ल्यू-3) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विशेषज्ञ की राय के सामने रखे गए सभी दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान एक ही व्यक्ति-आर का है। चूँकि विशेषज्ञ की रिपोर्ट को न्यायालय में चिह्नित किया गया था, आवेदक की आपत्ति के बिना, इसकी वास्तविकता को अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रश्न किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब निरस्तीकरण विलेख पंजीकृत किया गया था, तब वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख करके उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से एक विपरीत निष्कर्ष निकाला गया था। अंगूठे के निशान की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का एक अनूठा निशान होता है। अंगूठे के छापों की जालसाजी लगभग असंभव है। इसलिए, संपत्ति लेनदेन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठे की छाप लगाने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए, रद्दीकरण विलेख की वास्तविकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और एक साक्षर व्यक्ति के रूप में आर ने अपने अंगूठे की छाप लगाई थी। इस मामले में ऐसा अधिक है क्योंकि वसीयतकर्ता के अंगूठे का निशान विशेषज्ञ द्वारा वास्तविक साबित किया गया था। [अनुच्छेद 17,18]

1.3 जहां तक विरोध करने वालों के आचरण के निहितार्थ का संबंध है, जिन्होंने रद्द करने का मूल विलेख प्रस्तुत नहीं किया था, वे मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई कदम उठाने में भी विफल रहे (वाई.के के कब्जे में होने की सूचना)। इस पर, प्रोबेट आवेदक ने न तो प्रमाणित प्रति पेश करने पर आपत्ति जताई और न

ही मूल रद्द विलेख पेश करने पर जोर दिया। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रोबेट विरोधियों ने रद्द विलेख की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति पर कभी आपत्ति नहीं जताई। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रोबेट आवेदक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आर अस्वस्थ था और उसके लिए रद्द विलेख पंजीकृत कराने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में अकेले जाना संभव नहीं था। जब यह प्रस्तुत किया गया था और संबंधित विलेख को पेश किया गया था और बिना किसी विरोध के चिह्नित किया गया था, तो उच्च न्यायालय को रद्द किए गए विलेख की वास्तविकता के समर्थन में भारी साक्ष्य के बावजूद, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख करके विरोध करने वालों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था। ऐसे परिदृश्य में, जहां रद्द विलेख की प्रमाणित प्रति पेश करने के खिलाफ प्रोबेट आवेदक द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया था, उसे बाद में अपीलीय कार्यवाही के दौरान मूल रद्द विलेख की गैर-प्रस्तुति की याचिका लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रोबेट आवेदकों का मुख्य तर्क था कि रद्द विलेख के प्रमाण का तरीका अपर्याप्त था, हालाँकि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोबेट आवेदकों का ऐसा रुख नहीं था। पंजीकृत दस्तावेज की ग्राह्यता के बारे में आपत्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए और पहली बार अपील में आपत्ति नहीं ली जा सकती थी। [अनुच्छेद 19,20]

1.4 यह स्पष्ट है कि साक्ष्य की विधि के संबंध में अभिवाक को पहली बार अपीलीय स्तर पर लिए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है, यदि उचित स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जाता है। यह उस पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए है जिसने दूसरे पक्ष के विरोध के बिना मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी। यदि इस तरह की आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, तो संबंधित पक्ष दस्तावेज़ की मूल प्रति को बुलाकर सबूत के तरीके को ठीक कर सकता था। लेकिन ऐसा अवसर बाद के चरण में उपलब्ध या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, अपीलीय चरण के दौरान इस तरह की आपत्ति उठाने की अनुमति देने से पार्टी (जिसने मूल प्रति के बजाय प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखी थी) खतरे में पड़ जाएगी और उस पार्टी के हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह निष्पक्ष खेल के नियम के साथ भी असंगत होगा। [अनुच्छेद 24]

1.5 उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण विलेख को अस्वीकार करने में भौतिक साक्ष्य की उपेक्षा करके और उस अंक पर यह घोषणा करते हुए त्रुटि की थी कि आवेदक वसीयत के प्रोबेट के अनुदान का हकदार है। इस तथ्य को देखते हुए कि परिवीक्षाधीन आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, उच्च न्यायालय के लिए यह कहने का कोई अवसर नहीं था कि रद्द करने का मूल विलेख प्रस्तुत करना प्रतिवादी का कर्तव्य था। [अनुच्छेद 25]

1.6 परीक्षण के आधार पर, विचारण न्यायालय का यह मानना सही था कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट था और उसने खुद ही वसीयत रद्द कर दी थी। संबंधित ओडब्ल्यू के साक्ष्य विचारण न्यायालय की जांच में खरे उतरे हैं और वे अडिग रहे हैं और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के बारे में आपत्ति उठाने के लिए प्रोबेट आवेदकों की चूक पर विचार करते हुए, विरोध करने

वालों के मामले में योग्यता है। उच्च न्यायालय के आदेश और प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले को अपास्त कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 26,27]

पद्मण बनाम हनवांता ***ए.आई.आर. 1915 पी.सी. 111****; गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी* ***ए.आई.आर. 1943 पी.सी. 83;*** *आर.वी.ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. मंदिर* ***(2003) 8 एससीसी 752: [2003] 4 सप्लीमेंट एस.सी.आर. 450*** *दयामथी बाई बनाम के.एम. शफी* ***(2004) 7 एससीसी 107: [2004] 3 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 336;*** *बाबू आनंद बिहारी बनाम दिनशो एंड कंपनी* ***ए.आई.आर. 1946 पी.सी. 24 – निर्दिष्ट किया है*** *।*

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

ए.आई.आर. 1915 पी.सी 111 को संदर्भित किया गया।
अनुच्छेद 20

ए.आई.आर. 1943 पी.सी 83 को संदर्भित किया गया।
अनुच्छेद 21

[2004] 3 पूरक एस.सी.आर. 336 को संदर्भित किया गया। अनुच्छेद 23

[2003] 4 पूरक एस.सी.आर. 450 को संदर्भित किया गया। अनुच्छेद 24

ए.आई.आर. 1946 पी.सी. 24 को संदर्भित किया गया।
अनुच्छेद 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5823/2011।

मूल डिक्री संख्या 127/1974 की अपील में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.04.2009 से।

सुश्री श्रेयोशी चटर्जी, शिव कुमार पांडे, चन्द्रशेखर ए चकलब्बी, अवनीश कुमार, एम/एस धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स के लिए अंशुल राय, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

अभय कुमार, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति।

1. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 15.04.2009 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत प्रोबेट आवेदक द्वारा दायर अपील को उसके पक्ष में यह निष्कर्ष निकालते हुए अनुमति दी गई थी कि सरजुग सिंह के पक्ष में वसीयत रद्द नहीं की गई थी। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के उस निर्णय को उलट दिया जिसमें कहा गया था कि आवेदक वसीयत की जांच कराने का हकदार नहीं है क्योंकि उसे रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित निर्णय देने के लिए दिनांक 02.02.1963 (परिच्छेद सी) के निरस्तीकरण के रजिस्ट्रीकृत विलेख को अस्वीकार कर दिया, जिसके द्वारा, परिनिर्दिष्ट 2 वसीयत, वसीयतकर्ता द्वारा निरसित कर दी गई थी।

प्रासंगिक तथ्य

2. राजेंद्र सिंह (मृत्यु के बाद से) ने आवेदक सरजुग सिंह के पक्ष में 14.09.1960 (एक्सबीटी 2) को एक वसीयत निष्पादित की थी। 21.08.1963 को निष्पादक की मृत्यु हो गई और वह अपनी बहन दुलेर कुअर, स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सिंह की पत्नी और भतीजे युगल किशोर सिंह और प्रोबेट आवेदक सरजुग सिंह को पीछे छोड़ गया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वसीयतकर्ता की पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और इसलिए राजेंद्र सिंह, जिसे कोई मुद्दा नहीं दिया गया था, ने प्रत्यर्थी सरजूग सिंह के पक्ष में वसीयत (एक्सबीटी 2) को निष्पादित करके गांव पोझी बुजर्ग और पोझी कपूर, जिला-सारण, बिहार में अपनी संपत्ति को वसीयत कर दिया (मृतक के बाद से)।

3. सरजुग सिंह द्वारा शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही यानी प्रोबेट केस नंबर 19/1967 में, श्याम सुंदर कुअर उर्फ राज बंसी कुएर (वसीयतकर्ता की दूसरी पत्नी और विधवा होने का दावा) द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। खेदरन कुअर ने भी आवेदक का विरोध किया और उसने जमादार सिंह की विधवा होने का दावा किया, जो स्वर्गीय जग जीतन सिंह (वसीयतकर्ता राजेंद्र सिंह के भाई) के बेटे थे। आपत्तिकर्ताओं के अनुसार, सरजुग सिंह के पक्ष में वसीयत को एक पंजीकृत डीडडेट दिनांक 02.02.1963 (एक्सबीटी सी) द्वारा रद्द कर दिया गया था। आपत्तिकर्ता का यह भी तर्क था कि राज बंसी कुअर के पास स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की सभी संपत्तियों का कब्जा था और उन्होंने खेदरन कुएर के साथ मिलकर अपीलकर्ताओं को जमीन के कई भूखंड बेचे थे। इस तरह की खरीद के बाद कब्जा करने वाले विक्रेताओं में से आठ, प्रोबेट कार्यवाही में पेश हुए और विरोध करने वालों के मामले का समर्थन किया।

4. यह बताना प्रासंगिक है कि आवेदक सरजुग सिंह के पक्ष में वसीयत की वैधता को कभी भी गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन आपत्तिकर्ताओं ने दलील दी कि संबंधित वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा 02.02.1963 (एक्सबीटी सी) को एक पंजीकृत विलेख द्वारा रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, आवेदक का दावा है कि वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य बहुत खराब था, वह लकवाग्रस्त था और पंजीकृत रद्दीकरण विलेख (एक्सट 'सी') को निष्पादित करने के लिए 02.02.1963 को उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं था। आवेदक ने वसीयत के रद्दीकरण विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान की वास्तविकता को भी चुनौती दी।

5. सरजुग सिंह द्वारा दायर प्रोबेट मामले में, विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, छपरा ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि वसीयत (एक्सट 2) एक वास्तविक दस्तावेज है। तथापि, आक्षेपकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का निर्देश करते हुए, विद्वत न्यायाधीश ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि 21.08.1963 को पटना अस्पताल में राजेन्द्र सिंह की मृत्यु से कुछ मास पूर्व, एक रजिस्ट्रीकृत विलेख (एक्सट सी) के अधीन वसीयत (खंड 2) को 02.02.1963 को निरस्त कर दिया गया था। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र (एक्सट एफ) का भी उल्लेख किया कि इससे यह संकेत नहीं मिलता है कि वसीयतकर्ता पक्षाघात से पीड़ित था। विचारण न्यायालय ने यह टिप्पणी आवेदक की इस दलील को खारिज करने के लिए की थी कि राजेंद्र सिंह लकवाग्रस्त थे और अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले वसीयत को रद्द करने में असमर्थ थे। विद्वान न्यायाधीश ने तब आक्षेपकर्ता श्याम सुंदर कुएर द्वारा प्रस्तुत बिक्री विलेखों पर विचार किया और कहा कि वह राजेंद्र सिंह की संपत्ति को उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी और न्यायालय के अनुसार यह इस तथ्य का भी संकेत था कि जिस वसीयत के लिए प्रोबेट मांगा गया था, उसे वसीयतकर्ता ने स्वयं रद्द कर दिया था।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.02.1963 (एक्सटेंशन 'सी') के रद्दीकरण विलेख की वास्तविकता की जांच करते हुए हस्तलेखन विशेषज्ञ, हसन रज़ा (ओडब्लू-3), रद्दीकरण विलेख के प्रमाणित गवाह, जगरनाथ के साक्ष्य का उल्लेख किया। प्रसाद (ओडब्लू -4) और निरस्तीकरण विलेख के मुंशी शशिनाथ मिश्रा (ओडब्लू -5)। एक विशेषज्ञ के रूप में ओडब्लू -3 ने जुगल किशोर सिंह (एक्सट 1) के पक्ष में दिनांक 23.7.1947 के उपहार विलेख पर और सरजुग सिंह (एक्सट 2) के पक्ष में दिनांक 14.09.1960 की वसीयत पर राजेंद्र सिंह के स्वीकृत अंगूठे के निशान की तुलना की। अंगूठे के निशान के साथ छपरा निबंधन कार्यालय में पंजीकरण कराया और निम्नलिखित दर्ज किया:-

"8. .....xxx... जिस विशेषज्ञ ने इन अंगूठे के निशानों की जांच की, उनका मानना है कि ये सभी अंगूठे के निशान मेल खाते हैं। ओडब्लू.3 एस.इ.टी हसन रज़ा विशेषज्ञ हैं और एक्सटेंशन बी उनकी

रिपोर्ट है। उसकी जिरह में उसके सबूतों को खारिज करने और रिपोर्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है...xxx... ।"

सत्यापित करने वाले गवाह और रद्द विलेख के लेखक की गवाही का उल्लेख करने के बाद, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः –

"10. .....xxx...आवेदक के पक्ष में कोई सबूत नहीं है और न ही प्रमाणित करने वाले गवाह ओ.डब्ल्यू को कोई सुझाव दिया गया है। 4 एवं शशिनाथ मिश्र मुंशी ओ.डब्लू. 5 इस आशय का कि किसी ने सब-रजिस्ट्रार के सामने राजेंद्र सिंह का रूप धारण किया था... xxx...।"

7. उपर्युक्त विश्लेषण पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.12.1973 के अपने निर्णय के अधीन यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयत को निरस्त कर दिया गया है और आवेदक सरजुग सिंह वसीयत की जांच कराने के लिए अयोग्य है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा प्रोबेट मामले की अस्वीकृति से व्यथित होकर, आवेदक सरजुग सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1974 की पहली अपील संख्या 127 दायर की। अपील की लंबितता के दौरान, 21.03.2002 को सरजुग सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन मृतक अपीलार्थी के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया।

9. उच्च न्यायालय ने मुख्य मुद्दे को संबोधित किया कि क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत को रद्द कर दिया था। तब न्यायालय ने वसीयतकर्ता की अनिश्चित स्वास्थ्य स्थिति और रद्द करने वाले विलेख का मूल प्रस्तुत करने में विरोध करने वालों की विफलता और भौतिक गवाह की गैर-प्रस्तुति पर ध्यान दिया। इस तरह के विचार पर, अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि वसीयत को रद्द करने वाले विलेख को साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि वसीयत की वैधता पर कभी गंभीरता से सवाल नहीं उठाया गया था और विरोध करने वालों ने कहा था कि वसीयतकर्ता ने स्वयं वसीयत को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने तदनुसार प्रोबेट को मंजूरी दे दी और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया। संपत्ति के बाद के खरीदारों, जिन्होंने प्रोबेट कार्यवाही में आक्षेपकर्ता के मामले का समर्थन किया, ने तब वर्तमान अपील दायर की है।

10. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, प्रतिद्वंद्वी दावों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षों को पहले सुझाव दिया गया था और तदनुसार निर्देश प्राप्त करने के लिए वकील को समय दिया गया था। लेकिन जब मामले को अंतिम सुनवाई के लिए ले जाया गया, तो प्रार्थियो के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि वे किसी भी स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने में विफल रहे और इसलिए अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए।

11. जहां तक उच्च न्यायालय के समक्ष मृतक सरजूग सिंह का प्रतिस्थापन न करने और अन्य प्रतिद्वंद्वी पक्षों के कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन न करने की बात है, हमें इस न्यायालय में 13.04.2021 की कार्यवाही को देखते हुए इस बिंदु पर हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का निर्णय एक मृत व्यक्ति के खिलाफ किया गया था और वर्तमान अपीलार्थियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को देर से रिकॉर्ड पर लाया गया था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने वाले पक्षों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, मामले का निर्णय इसकी कानूनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस तरह की सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हुए, दायर किए गए पक्षों के संशोधित ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, हम अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े हैं।

विचार और निर्णय

12. हमने अपीलार्थियों/विरोधियों की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री श्रेओशी चटर्जी को सुना है। सरजुग सिंह (प्रोबेट आवेदक) के कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री अभय कुमार द्वारा किया जाता है।

13. वर्तमान मामले में किसी भी पक्ष के दावे की योग्यता मुख्य मुद्दे पर निर्भर करेगी कि क्या राजेंद्र सिंह ने वास्तव में सरजुग सिंह के पक्ष में वसीयत रद्द कर दी थी और रद्दीकरण विलेख (एक्सट सी) निष्पादित करने की उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता थी। और यह भी कि दिनांक 02.02.1963 को पंजीकृत दस्तावेज़ पर राजेंद्र सिंह के अंगूठे का निशान असली है या नहीं।

14. प्रोबेट आवेदक की अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राजेंद्र सिंह की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख किया, जो अपनी मृत्यु से पहले पैरालिसिस से पीड़ित थे और राय दी थी कि वसीयतकर्ता के लिए वसीयत को रद्द करने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय जाना संभव नहीं होगा। तदनुसार, उप-पंजीयक कार्यालय में उनके प्रतिरूपण पर निष्कर्ष निकाला गया था। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा गया था, भले ही उप-पंजीयक के कार्यालय में वसीयतकर्ता राजेंद्र सिंह के प्रतिरूपण के संबंध में न तो कोई सुझाव दिया गया था और न ही आपत्ति करने वाले के गवाहों से कोई जिरह की गई थी। यह भी दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि जब दस्तावेज़ों को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तो एक्सट बी (हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट) और एक्सट सी (रद्द करने का विलेख) दोनों को बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था।

15. उच्च न्यायालय हमारे आकलन में, ओडब्लू - 3, ओडब्लू - 4 और ओडब्लू - 5 के साक्ष्य को उचित महत्व देने में विफल रहा, जिन्होंने रद्दीकरण विलेख की वास्तविकता पर साक्ष्य का नेतृत्व किया। इसके

बजाय, रद्दीकरण विलेख को पंजीकृत करने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय जाने के लिए वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण और अक्षमता पर गलत अनुमान लगाया गया था।

16. इसके अलावा, प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय में संबंधित रद्द विलेख की स्वीकृति और अंकन का कभी विरोध नहीं किया।

इसलिए, विशेषज्ञ की रिपोर्ट के सामने (एक्सट. बी) जब रद्द करने का विलेख (एक्सट सी) जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष किसी आपत्ति के बिना चिह्नित किया गया था, उन्हें अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता है और उन्हें वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से ओडब्लू - 3, ओडब्लू - 4 और ओडब्लू - 5 की गवाही को देखते हुए, जो वसीयतकर्ता, राजेंद्र सिंह द्वारा पंजीकृत प्रतिसंहरण विलेख के निष्पादन पर दृढ़ रहे।

17. रद्द किए गए विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान के मुद्दे पर, यह बताया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए सभी चार कार्यों में उनके अंगूठे का निशान था, न कि उनके हस्ताक्षर। इसलिए, रद्द किए गए विलेख की वास्तविकता पर प्रतिकूल अनुमान केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठे के निशान को जोड़ने का विकल्प चुना है। इसके अलावा, हस्तलेखन विशेषज्ञ (ओडब्लू -3) की एक्सट. बी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विशेषज्ञ की राय के सामने रखे गए सभी दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान उसी व्यक्ति यानी राजेंद्र सिंह का है। चूंकि उक्त Ext. बी को न्यायालय में चिह्नित किया गया था, आवेदक की आपत्ति के बिना, अपीलीय न्यायालय के समक्ष इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारी राय के अनुसार एक विपरीत निष्कर्ष, उच्च न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख करके गलत तरीके से तैयार किया गया था, जब निरसन विलेख दर्ज किया गया था।

18. अंगूठे के निशान की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का एक अनूठा निशान होता है। अंगूठे के छापों की जालसाजी लगभग असंभव है। इसलिए, संपत्ति लेनदेन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठे की छाप लगाने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए, रद्दीकरण विलेख की वास्तविकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और राजेंद्र ने एक साक्षर व्यक्ति के रूप में अपने अंगूठे की छाप लगाई थी। इस मामले में ऐसा अधिक है क्योंकि वसीयतकर्ता के अंगूठे का निशान विशेषज्ञ द्वारा वास्तविक साबित किया गया था।

19. इसके बाद, हमें विरोध करने वालों के आचरण के निहितार्थ पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन्होंने रद्द करने का मूल विलेख प्रस्तुत नहीं किया था। वे मूल का उत्पादन करने के लिए कोई कदम उठाने में भी विफल रहे (युगल किशोर सिंह के कब्जे में होने की सूचना है)। इस पर, प्रोबेट आवेदक ने न तो प्रमाणित प्रति पेश करने पर आपत्ति जताई और न ही मूल रद्द विलेख पेश करने पर जोर दिया। विद्वान वकील श्री अभय कुमार ने हालांकि तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने भी मूल रद्द विलेख पेश करने के लिए दबाव नहीं डाला था। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रोबेट विरोधियों ने रद्द विलेख की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति पर कभी आपत्ति नहीं जताई। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रोबेट आवेदक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि राजेंद्र अस्वस्थ था और उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह रद्दीकरण विलेख का पंजीकरण कराने के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में अकेले गया था। जब यह आवेदक का तर्क था और संबंधित विलेख को पेश

किया गया था और बिना विरोध के चिह्नित किया गया था, तो उच्च न्यायालय को रद्द किए गए विलेख की वास्तविकता के समर्थन में भारी साक्ष्य के बावजूद, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख करके विरोध करने वालों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था।

20. ऐसे परिदृश्य में, जहां रद्द विलेख की प्रमाणित प्रति पेश करने के खिलाफ प्रोबेट आवेदक द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया था, उसे बाद में अपीलीय कार्यवाही के दौरान मूल रद्द विलेख की गैर-प्रस्तुति की याचिका लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्रोबेट आवेदकों का मुख्य तर्क यह था कि रद्द विलेख के प्रमाण का तरीका अपर्याप्त था। हालांकि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोबेट आवेदकों का रुख ऐसा नहीं था। पंजीकृत दस्तावेज की ग्राह्यता के बारे में आपत्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए और पहली बार अपील में आपत्ति नहीं ली जा सकती थी। इस पर हम न्यायमूर्ति *अमीर अली द्वारा पैंडमैन बनाम हनवंता* [1] में की गई टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं जहां प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया था।

> *"प्रतिवादियों ने अब महामहिम परिषद में अपील की है, और उनकी ओर से मामले पर बहुत विस्तार से बहस की गई है। तर्क के दौरान यह आग्रह किया गया था कि 1898 की वसीयत की एक पंजीकृत प्रति को इसके प्रवेश के लिए पर्याप्त आधार रखे बिना साक्ष्य में स्वीकार किया गया था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त प्रति को साक्ष्य में रखे जाने के खिलाफ पहली न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं ली गई है। यदि उस समय इस तरह की आपत्ति की गई होती, तो जिला न्यायाधीश, जिन्होंने पहली बार मामले की सुनवाई की थी, ने शायद देखा होता कि कमी की आपूर्ति की गई थी। उनके प्रभुओं का मानना है कि वर्तमान विवाद में कोई सार नहीं है।"*

21. *गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी*[2] में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में न्यायमूर्ति जॉर्ज रैंकिन द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रमाण के तरीके के बारे में आपत्ति तब ली जानी चाहिए जब दस्तावेज़ को निविदा दी जाती है और इससे पहले कि इसे एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसे अपील में नहीं लिया जा सकता है। दस्तावेज़ को स्वीकार करने और प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से पहले सबूत के तरीके के बारे में आपत्ति ली जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष रद्द विलेख के प्रमाण के तरीके के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई, जैसा कि अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है और यह उसके विरुद्ध अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।

22. अपने उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में, हम उपयोगी रूप से *आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसारस्वामी और वी. पी. टेम्पल* [3] के अनुपात का उल्लेख कर सकते हैं, जहां न्यायमूर्ति अशोक भान ने अपीलार्थी स्तर पर सबूत के तरीके के रूप में आपत्ति को अस्वीकार करने के पहलू पर विचार करते हुए दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए निष्पक्ष खेल के नियम के रूप में कहाः –

> "20. ..... बाद के मामले में, जब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो आपत्ति ली जानी चाहिए और एक बार दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया है और एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया है, तो आपत्ति है कि इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाया गया तरीका दस्तावेज़ को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी स्तर पर

अनियमित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद वाला प्रस्ताव निष्पक्ष खेल का नियम है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या कोई आपत्ति, यदि उचित समय पर ली जाती है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को दोष को ठीक करने और सबूत के ऐसे तरीके का सहारा लेने में सक्षम बनाती है जो नियमित हो। आपत्ति करने में चूक घातक हो जाती है क्योंकि उसकी विफलता से आपत्ति का हकदार पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विपरीत पक्ष सबूत के तरीके के बारे में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर, एक त्वरित आपत्ति दो कारणों से साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है: सबसे पहले, यह न्यायालय को अपना दिमाग लगाने और स्वीकार्यता के सवाल पर अपना निर्णय सुनाने में सक्षम बनाता है; और दूसरी बात, सबूत पेश करने वाले पक्ष के खिलाफ जाकर अपनाए जाने वाले सबूत के तरीके के बारे में न्यायालय को पता चलने की स्थिति में, नियमित तरीके या सबूत के तरीके की अनुमति देने के लिए न्यायालय की कृपा मांगने का अवसर मिलता है और इस तरह आपत्ति दूर हो जाती है। विरोधी पक्ष द्वारा उठाया गया साक्ष्य नेतृत्व करने वाले पक्ष के लिए उपलब्ध है। ऐसी प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए उचित है। यहां ऊपर उल्लिखित दो प्रकार की आपत्तियों में से, बाद वाले मामले में, त्वरित और समय पर आपत्ति उठाने में विफलता किसी दस्तावेज़ के औपचारिक प्रमाण पर जोर देने की आवश्यकता से छूट के समान है, जिस दस्तावेज़ को स्वयं स्वीकार्य साबित करने की मांग की गई है प्रमाण के रूप में... ... ... "

23. *दयामथी बाई बनाम के.एम. शफी* [4] में न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया द्वारा लिखित राय में इस न्यायालय ने इसी तरह यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य के तरीके के बारे में आपत्ति प्रक्रियात्मक कानून के भीतर आती है। इसलिए ऐसी आपत्तियों को माफ किया जा सकता है। इसके अलावा, दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने और न्यायालय में स्वीकार करने से पहले आपत्ति ली जानी चाहिए।

24. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि सबूत के तरीके के बारे में याचिका को पहली बार अपीलीय स्तर पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि उचित स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जाता है। यह उस पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए है जिसने दूसरे पक्ष के विरोध के बिना मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी। यदि इस तरह की आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, तो संबंधित पक्ष दस्तावेज़ की मूल प्रति को बुलाकर सबूत के तरीके को ठीक कर सकता था। लेकिन ऐसा अवसर बाद के चरण में उपलब्ध या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, अपीलीय चरण के दौरान इस तरह की आपत्ति को उठाने की अनुमति देने से पक्ष (जिसने मूल प्रति के बजाय प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर रखा) खतरे में पड़ जाएगा और उस पक्ष के हितों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह *आर.वी.ई. वेंकटचाला* के मामले में न्यायमूर्ति अशोक भान द्वारा प्रतिपादित निष्पक्षता के नियम के साथ भी असंगत होगा (पूर्वोक्त)।

25. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण विलेख पर अविश्वास करके भौतिक साक्ष्यों की अनदेखी करके गलती की है और उस स्कोर पर यह घोषणा की है कि आवेदक वसीयत की प्रोबेट देने का हकदार है (एक्सट. 2)। इस तथ्य को देखते हुए कि परिवीक्षाधीन आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, उच्च न्यायालय के लिए यह कहने का कोई अवसर नहीं था कि रद्द करने का मूल विलेख प्रस्तुत करना प्रतिवादी का कर्तव्य था। इसलिए *बाबू आनंद बिहारी बनाम दिनशो एंड कंपनी* [5] में लॉर्ड थैंकर्टन की राय पर निर्भरता को अनुचित पाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी के कुछ उद्धरणों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में पंजीकृत रद्दीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है और सबसे महत्वपूर्ण

बात यह है कि उस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी।इसके अलावा, सबूत के तरीके की दलील विचारण न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठाई गई थी और इसलिए आवेदक का समर्थन करने के लिए उपरोक्त मामले पर उच्च न्यायालय की निर्भरता अस्वीकार्य है।

26. उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, यह हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि राजेंद्र चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ था और उसने स्वयं वसीयत को रद्द कर दिया था। यह भी देखा गया है कि संबंधित ओ. डब्ल्यू. के साक्ष्य विचारण न्यायालय की जांच का सामना कर चुके हैं और वे अडिग रहे हैं और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के बारे में आपत्ति उठाने के लिए प्रोबेट आवेदकों की चूक पर विचार करते हुए, हम विरोध करने वालों के मामले में योग्यता पाते हैं।

27. उपरोक्त तर्क के लिए, हम वर्तमान अपील को उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त करने और प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश छापरा के फैसले को बहाल करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

निधि जैन अपील की अनुमति दी गई।

1. ए.आई.आर 1915 पीसी 111
2. एआईआर 1943 पीसी 83
3. (2003) 8 एससीसी 752
4. (2004) 7 एससीसी 107

दिव्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।